सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 12 फाल्गुन, 1946 (श०) / 03 मार्च, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 59

(1)	गृह विभाग	.. ..	40
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	.. ..	06
(3)	वित्त विभाग	.. ..	02
(4)	उद्योग विभाग	.. ..	06
(5)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	.. ..	05
		कुल योग --	59

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1. श्री राकेश कुमार रौशन (इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में वर्ष 2011-12 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना चल रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के सण्डा पंचायत के गुडरू ग्राम तथा बरदाहा पंचायत के शेरथुआ में कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं कराई गई है, जिससे कब्रिस्तानों में आवारा पशुओं एवं आने-जाने वाले लोगों द्वारा गंदगी फैलाई जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*2. श्रीमती मंजु अग्रवाल (शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड शेरघाटी के नगर परिषद् के लोदी शहीद स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्रों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*3: श्री चन्द्रहास चौपाल (सिंहेश्वर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत शंकरपुर थाना के ग्राम पंचायत बेहुरारी के वार्ड नं0 10 में पुल के पास शंकरपुर लघु नहर पर निर्मित सड़क मार्ग में अक्सर आपराधिक घटनाएँ होती रहती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त लघु नहर पथ के समीप पुलिस चौकी का निर्माण कर आपराधिक घटनाओं को रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*4. श्री कुमार सर्वजीत (बोधगया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, बोधगया के ग्राम-बकरौर स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने के कारण यह कब्रिस्तान अतिक्रमण एवं आवारा पशुओं की शरण स्थली बनते जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी करना

*5. श्री शमीम अहमद (नरकटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखंड अन्तर्गत बंजरिया पिपरा कब्रिस्तान एवं दरोगा टोला कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान के घनी आबादी क्षेत्र में अवस्थित होने के बावजूद इसकी घेराबंदी अबतक नहीं की गई है, जिससे असामाजिक तत्वों से खतरा बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लम्बित योजनाओं को क्रियान्वित कराना

*6. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (बहादुरगंज)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किशनगंज जिले सहित पूरे राज्य में अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को मेधावी छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति विगत 5 वर्षों से नहीं होने के कारण अल्पसंख्यकों में असंतोष है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त योजनाओं का क्रियान्यवन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली करने के संबंध में

*7. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (पातेपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पत्रांक 11287, दिनांक 20 दिसम्बर, 1995 के द्वारा यह आदेश निकाला गया कि 1 जनवरी, 1990 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले दफादार, चौकीदार के आश्रितों की बहाली की जायेगी, सरकार का यह आदेश 11 नवम्बर, 2004 तक लागू रहा, पुनः हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में आश्रितों की बहाली की प्रक्रिया बन्द कर दिया गया, फिर बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2014 बना करके दिनांक 5 मार्च, 2014 से स्वेच्छित सेवानिवृत्ति के तहत चौकीदार, दफादार के आश्रितों की बहाली का प्रावधान किया गया, जो पुन: दिनांक 25 फरवरी, 2023 को समाप्त कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार वर्ष 2004 से 2014 तक चौकीदार, दफादार का जो आश्रित बहाली प्रक्रिया से वंचित रह गये, उन्हें कबतक बहाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

साइबर ठगों पर रोक लगाना

*8. श्री अरूण शंकर प्रसाद (खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 21 जनवरी, 2025 को प्रकाशित समाचार शीर्षक ''सऊदी और पाक से मैथिली-भोजपुरी में आ रहे ठगों के कॉल'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सऊदी अरब व पाकिस्तान सहित अन्य देशों के साइबर ठग बिहार में औसतन 600 कॉल प्रतिदिन दूर-दराज के गाँवों के लोगों के पास क्षेत्रीय भाषाओं यथा भोजपुरी, मैथिली और मगही में कर रहे हैं, जिस कारण डेढ़ वर्ष में 22 हजार से अधिक लोग ठगी के शिकार हो गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार विदेश में बैठे साइबर ठगों के कॉल पर रोक लगाने तथा ठगी से बचाने के लिये कौन-सा उपाय करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*9. श्री अजय कुमार (बिभुतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना कांड संख्या 451/23, दिनांक 24 अक्टूबर, 2023 में नामजद 10 में से 06 अभियुक्तों (1) अशोक दास, पिता-स्व0 जागेश्वर दास (2) राजीव राजा, पिता-श्री रेशमलाल दास (3) विश्वजीत कुमार उर्फ पिन्टू यादव, पिता-स्व0 मुरलीधर मुरारी यादव (4) शेखर यादव, पिता-स्व0 विन्देश्वरी यादव (5) प्रदीप दास, पिता-ओम प्रकाश दास एवं (6) श्वेतकमल उर्फ बौआ यादव की गिरफ्तारी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मामले की जाँच कर अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य योजना तैयार कराना

*10. श्री ललित कुमार यादव (दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''आपराधिक वारदात से सुर्खियों में रहने वाला मुजफ्फरपुर अपराधियों को सजा दिलाने में फेल 44789 केस में नवम्बर में किसी को सजा नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पुलिस की ओर से जाँच रिपोर्ट व सबूत पेश नहीं किये जाने से आरोपितों की रिहाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार इसके समाधान के लिये कार्य योजना तैयार कराने का विचार रखती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*11. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत पंचदेवरी प्रखंड के पंचायत सिकटिया के ग्राम-तेतरिया स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*12. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार के न्यायालयों में 17.27 लाख मामले लंबित'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह यह बात सही है कि राज्य में पुलिस द्वारा भगोड़े अपराधियों को नहीं पकड़ना एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने तथा गवाहों को सुरक्षा नहीं देने एवं कोर्ट में उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण राज्य में 17.27 लाख से अधिक मामले लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लम्बित मुकदमों के कारण अपराधियों के मंसूबो को मजबूती मिल रही है एवं राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्य में शिथिलता बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस मित्र के स्थायीकरण के सम्बन्ध में

*13. श्री कुंदन कुमार (बेगूसराय)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में ग्राम रक्षा दल-सह-पुलिस मित्र, जो बिहार के लगभग हर जिले में कार्यरत हैं, उनका स्थायीकरण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नक्सल प्रभावित थानों में भी ग्राम रक्षा दल-सह-पुलिस मित्र अहम भूमिका निभाते हैं, एवं थानों में सुचारू रूप से सक्रिय रहते हैं, परन्तु अबतक स्थायीकरण नहीं होने के कारण उन्हें जीवन-यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम रक्षा दल-सह-पुलिस मित्रों का स्थायीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सँविदा पर नियुक्ति

*14. श्री विजय शंकर दूबे (महाराजगंज, सीवान)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018-19 में राज्य के लगभग सभी जिलों में जिला अधिकारी द्वारा कार्यपालक सहायक का पैनल तैयार किया गया था जिसका वैधता 3 वर्ष या पैनल की समाप्ति तक रखा गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पैनल से लगभग आधे का बहाली जिला पैनल से ही सँविदात्मक पद पर किया गया और लगभग आधे बचे हुए प्रतिक्षारत कार्यपालक सहायक (जिस पैनल की वैधता 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी) की बहाली के लिए बेल्ट्रोन/टी0सी0एस0 कम्पनी द्वारा पुनः से परीक्षा और सभी प्रक्रिया पूर्ण कराकर उर्मिला/बेल्ट्रोन कम्पनी द्वारा सरकारी विभाग में रखा गया है, जो आउटसोर्सिंग कम्पनी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सभी कर्मियों को सँविदा पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन की मरम्मती

*15. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (बैकुंठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर थाना के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था (जर्जर) में होने के कारण भवन में पुलिस पदाधिकारियों को राजकीय कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन का नवनिर्माण या मरम्मती कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल कार्यालय स्थापित कराना

*16. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लु सिंह (नबीनगर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले का नवीनगर प्रखण्ड अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है और झारखण्ड राज्य का सीमावर्ती प्रखण्ड है एवं नवीनगर में विद्युत् ताप परियोजनाएँ कार्यरत है जिस कारण यह प्रखण्ड औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के सरकारी कार्यालय एवं प्रतिष्ठान यहाँ स्थापित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि नवीनगर प्रखण्ड अनुमण्डल का दर्जा प्राप्त करने की सभी अर्हताएं पूरी करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नवीनगर में अनुमण्डल का कार्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षण कराना

*17. श्री मुकेश कुमार यादव (बाजपट्टी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार की जन-कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी यथा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कनीय अभियंता इत्यादि की पदस्थापना और वेतन भुगतान का कार्य जिला स्तर से किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पदाधिकारियों की प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षण नहीं होने के कारण ये प्राय: प्रखंड से अनुपस्थित रहते हैं जिसके कारण सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं जनहित से जुड़े कार्य ससमय क्रियान्वयन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पर्यवेक्षीय पदाधिकारी की अनुपस्थिति विवरणी इनके पदस्थापन कार्यालय स्थान पर नहीं रहता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पदाधिकारियों की अनुपस्थिति प्रखंड स्तर पर रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली प्रक्रिया पूर्ण करना

*18. श्री अजीत शर्मा (भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर समाहरणालय द्वारा वर्ष 2016 में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के नियोजन हेतु बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिये अबतक पूर्ण नहीं किया गया है जिसके कारण कई उम्मीदवारों की उम्र सीमा समाप्त हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई बहाली की प्रक्रिया को कबतक पूर्ण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन निर्माण कराने के सम्बन्ध में

*19. श्रीमती मीना कुमारी (बाबूबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के लदनियाँ प्रखण्ड मुख्यालय थाना का निर्माण 30 वर्ष पूर्व किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना भवन के जर्जर होने एवं पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए आवास की सुविधा नहीं होने के कारण थाने में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाने को नया भवन के साथ आवासीय भवन के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*20. श्रीमती गायत्री देवी (परिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत जगदर पंचायत के जगदर ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी बनाना

*21. श्री बीरेन्द्र सिंह (वजीरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत तरमा बाजार वजीरगंज थाना एवं फतेहपुर थाना से 12 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 व्यवस्था सुदृढ़ कराना

*22. श्री प्रमोद कुमार (मोतिहारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के प्रखण्ड सदर अंतर्गत ढेंकहाँ बाजार में ओ0 पी0 पुलिस सेन्टर खुला है, परन्तु अधिकारी एवं सिपाही बल कम रहने के कारण आयें दिन दुर्घटना का वातावरण बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ढेंकहाँ बाजार के पुलिस ओ0 पी0 में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*23. श्री शकील अहमद खाँ (कदवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के सगुनिया कब्रिस्तान के परिसर की घेराबंदी सरकार द्वारा वर्ष 2010 में करायी गई थी, जो क्षतिग्रस्त हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान के परिसर की घेराबंदी का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 भवन निर्माण

*24. श्री दिलीप राय (सुरसंड)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखंड के कुम्मा ओ0 पी0 का भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार सुरसंड प्रखंड के कुम्मा ओ0 पी0 के लिए भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपराधी की गिरफ्तारी

*25. श्री संजय सरावगी (दरभंगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री अजय कुमार राय उर्फ अजय कुमार सिंह, ग्राम-मनिहास कंसी, थाना-सिमरी, जिला-दरभंगा की हत्या कर दी गयी है एवं उनकी लाश दिनांक 12 जनवरी, 2025 को बेनीवाद थाना, जिला मुजफ्फरपुर के भटगाम मोड़ में रोड के किनारे खेत में पड़ी मिली एवं इस सन्दर्भ में कांड संख्या 06/25, दिनांक 14 जनवरी, 2025 दर्ज किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस घटना के एक महीने से ऊपर बीत जाने के बाद भी अभीतक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कांड के अपराधी की गिरफ्तारी कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

विवाह भवन का निर्माण

*26. श्री समीर कुमार महासेठ (मधुबनी)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के भौआड़ा तथा पंडौल प्रखंड के पंडौल में गरीब अल्पसंख्यकों की काफी आबादी है परंतु कोई विवाह भवन नहीं रहने के कारण गरीबों को शादी समारोह में काफी कठिनाई होती है जबकि उक्त स्थानों के लिये सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त दोनों स्थानों पर अल्पसंख्यकों के लिये विवाह भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*27. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सिकटा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत मैनाटांड प्रखंड के सकरौल और घोड़पकड़ी गाँव के कब्रिस्तान की चहारदीवारी अबतक नहीं हुई है, जिसके कारण अतिक्रमण और उससे जुड़े अन्य तरह के विवादों की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोनों कब्रिस्तानों की चहारदीवारी निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*28. श्री अखतरूल ईमान (अमौर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री परित्यक्ता व तलाकशुदा सहायता योजना के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को एकमुश्त 25000/-(पच्चीस हजार) रुपये की सहायता देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत प्रखंड अमौर एवं बैसा में उपर्युक्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इसका लाभ नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पूर्णियाँ जिले के अमौर एवं बैसा प्रखंडों की तलाकुशदा मुस्लिम महिलाओं को अबतक उक्त योजना का लाभ नहीं मिलने का क्या औचित्य है ?

कार्यपालक सहायकों को उचित वेतनमान का निर्धारण

*29. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (पिपरा, पूर्वी चंपारण)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में सभी जिलों में ग्राम पंचायत, प्रखंड से थाना, जिला एवं सचिवालय तक में सभी विभागों में कार्यपालक सहायक विगत 14 वर्षों से सफलतापूर्वक सरकारी कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में 2006 से 2022 तक नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी स्तर से नियुक्ति किया गया जिसे वेतनमान 5200-20200 एवं ग्रेड पे 2400 का लाभ दिया जा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन उक्त के आधार पर निकाले गये विज्ञापन के आलोक में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमिटी बनाकर लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार में पास अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाकर जिलाधिकारी के द्वारा बिहार के समस्त कार्यपालक सहायकों को नियुक्त किया गया है लेकिन उन्हें नियमितीकरण एवं वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कार्यपालक सहायकों को नियोजित शिक्षकों के तर्ज पर वेतनमान 5200-20200 एवं ग्रेड पे 2400 का लाभ देने का विचार रखती विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करना

*30. श्री जिवेश कुमार (जाले)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा पूरे उत्तर बिहार सहित मिथिला क्षेत्र का औद्योगिक शहर बनता जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा समेत पूरे मिथिला क्षेत्र में मछली, मखाना समेत कई प्रकार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट की काफी कमी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में मिथिला (बिहार) के लिये मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गयी है ;

(4) क्या यह बात सही है कि दरभंगा समेत मिथिला के विकास के लिये अलग से कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है ;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा समेत पूरे मिथिला क्षेत्र लिये मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*31. श्री आलोक रंजन (सहरसा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के बैजनाथपुर पेपर मिल वर्षों से बंद हैं जिसके कारण कई लोग बेरोजगार हुये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि यहां के हजारों लोग रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेश जाने को विवश हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार राज्य भर में उद्योग को बढ़ावा देने लिये कई जिलों में इथनॉल फैक्ट्री सहित अन्य उद्योग लगाने के लिये प्रयत्नशील है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बैजनाथपुर पेपर मिल के खाली पड़े भू-खंड पर इथनॉल फैक्ट्री स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मेगा टेक्सटाइल पार्क लगवाना

*32. श्री राम सिंह (बगहा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बगहा अनुमंडल अंतर्गत गंडक नदी से पूरब, रतवल ग्राम के पश्चिम में उद्योग विभाग द्वारा ''मेगा टेक्सटाइल पार्क'' की स्थापना हेतु जिला पदाधिकारी, बेतिया द्वारा लगभग 1719 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर उद्योग विभाग को दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चार साल बीत जाने के बाद भी ''मेगा टेक्सटाइल पार्क'' के कार्य में कोई भी प्रगति नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विधान सभा चुनाव के पूर्व इस योजना का शुभारम्भ करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) PM MEGA Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) पार्क की स्थापना का कार्यान्वयन वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है । प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2022-23 में PM MITRA पार्क की स्थापना हेतु 07 राज्यों का लक्ष्य के अनुरूप भारत सरकार द्वारा चयन किया जा चुका है, जिसमें बिहार राज्य शामिल नहीं है ।

प० चम्पारण में एक PM MITRA पार्क की स्थापना पर पुनर्विचार करने हेतु प्रस्ताव मुख्य सचिव, बिहार के माध्यम से पत्रांक-47766, दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 द्वारा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया ।

सहायक थाना का निर्माण

*33. श्री सुर्यकान्त पासवान (बखरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत नावकोठी प्रखंड के नावकोठी थाना का सीमा क्षेत्र महेश्वारा से बगरस पुल तक है, जो कि काफी बड़ा सीमा क्षेत्र है एवं विष्णुपुर एवं समासा पंचायत के बीच कोई सहायक थाना नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नावकोठी थाना के समसा एवं विष्णुपुर पंचायत क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से आपराधिक घटनाएँ बढ़ गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के बीच सहायक थाना के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण

*34. श्री विनय कुमार (गुरूआ)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड में अल्पसंख्यक समुदाय की कुल आबादी लगभग 20000 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं के लिये अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं रहने के कारण उनके पढ़ाई में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नीलामी-पत्र की वसूली

*35. श्री नारायण प्रसाद (नौतन)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 जनवरी, 2025 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''31117 नीलामी-पत्र के 384.42 करोड़ की वसूली नहीं, जिला प्रशासन गंभीर'' के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला में 31117 नीलाम-पत्र के लंबित मामलों में अबतक मात्र 384.425 करोड़ की वसूली जिला प्रशासन, बेतिया द्वारा की जा सकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैंकों से जुड़े नीलाम-पत्रों के मामलों में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के बावजूद वसूली का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नीलाम-पत्र की वसूली के लक्ष्य को कबतक प्राप्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*36. श्री फते बहादुर सिंह (डेहरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी प्रखंड के अहरौंव गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण जानवरों के अतिक्रमण से परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*37. श्री रश्मि वर्मा (नरकटियागंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज अनुमंडल के हरदी टेढ़ा पंचायत में हरदिया माय स्थान जिसका प्रांगण लगभग 5 एकड़ का है, स्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त धार्मिक स्थल पर हजारों श्रद्धालु प्रत्येक दिन दर्शन हेतु आते हैं एवं हरदिया माय स्थान के प्रांगण में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगे रहने के साथ ही, भू-माफिया द्वारा माय स्थान की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे श्रद्धालुओं को कठिनाई हो रही हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में जन आस्था के केंद्र हरदिया माय स्थान, हरदी टेढ़ा, नरकटियागंज को अतिक्रमण मुक्त करा कर चहारदीवारी का निर्माण कबतक, कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

*38. श्री विजय सिंह (बरारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत समेली प्रखंड-सह-अंचल में थाना नहीं रहने के कारण लोगों को अन्य प्रखंड में स्थापित फलका, पोठिया, कुर्सेला थानों में अपने कार्य हेतु जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार समेली प्रखंड मुख्यालय में समेली थाना स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*39. श्री राकेश कुमार रौशन (इस्लामपुर, नालंदा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2011-12 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना चल रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के एकंगरसराय प्रखंड अंतर्गत जमुआंवा पंचायत के जमुआंवा ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं का जमावड़ा कब्रिस्तान पर बना रहता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमुआंवा कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक, कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*40. श्री मंजु अग्रवाल (शेरघाटी)--क्या मंत्री, गृह विभाग यह बातलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी नगर परिषद् के रंगलाल उच्च विद्यालय के समीप मिश्रा कोचिंग सेंटर के पास स्थित मियांबाड़ा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं, रहने से आवारा पशुओं एवं राहगीरों

का आवागमन होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

***41. श्री कुमार सर्वजीत (बोधगया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि** क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत बोधगया प्रखंड के ग्राम पंचायत मोराटाल के ग्राम-मनकोशी स्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने के कारण यह कब्रिस्तान अतिक्रमण एवं आवारा पशुओं की शरणस्थली बनते जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान के चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*42. श्री शमीम अहमद (नरकटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखंड अंतर्गत बड़हरवा एवं गोल पकड़िया कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों से खतरा बना रहता है जबकि उक्त कब्रिस्तान घनी आबादी के बीच अवस्थित है तथा अतिसंवेदनशील है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चमड़ा उद्योग की स्थापना।

*43. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (बहादुरगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग यह बतालाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला बिहार राज्य में सबसे पिछड़ा जिला है तथा यहाँ एक भी उद्योग संचालित नहीं रहने के कारण जिले के अधिकतर लोग रोजगार हेतु अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूर बनने को मजबूर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले में चमड़े की उपलब्धता तथा चमड़े के कुशल कारीगरों की कमी नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिले में चमड़ा उद्योग की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैड टच पर रोक लगाना

*44. श्री अरूण शंकर प्रसाद (खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 जनवरी, 2025 को प्रकाशित समाचार शीर्षक ''स्कूल बस, ऑटो और ट्यूशन में 54 प्रतिशत किशोरियों संग होता

है गलत स्पर्श'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 01 दिसम्बर, से 20 दिसम्बर, 2024 तक राज्य के 11 वर्ष से 20 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों का आनलाइन सर्वे किया हैं, जिसमें 01,50,543 लड़के और 50,789 लड़कियों में से 27,00 ने स्वीकार किया है कि स्कूल बस, ऑटो में सफर करने या ट्यूशन के दौरान बुरा-स्पर्श (बैड टच) की घटना का सामना किया है।

(2) क्या यह बात सही है कि पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, नालंदा जिलों से दो से चार हजार लड़िकियों ने गलत स्पर्श की बात की है परन्तु लोक लज्जा के कारण चुप रह गया हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार स्कूल बस, ऑटो, और ट्यूशन हेतु सफर के दौरान होने वाले बैड टच के जूड़ी घटनाओं पर रोक-थाम लगाने के लिये कदम उठा रही हैं; नहीं, तो क्यों ?

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा खोलना

*45. श्री अजय कुमार (बिभूतिपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के बिभूतिपुर प्रखंड के पंचायत कल्याणपुर उत्तर में अवस्थित कल्याणपुर बाजार में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है। जबकि कल्याणपुर बाजार से दलसिंहसराय एवं नरहन में अवस्थित दूसरे बैंक की दूरी क्रमशः 11-12 कि0मी0 एवं 13-14 कि0मी0 है, जिसके काण महिलाओं एवं वृद्धजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कल्याणपुर बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गुमशुदा लड़कियों की बरामगदी

*46. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)--स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित ''शास्त्रीनगर से सर्वाधिक लड़कियाँ लापता हुई, न्यू बाईपास क्षेत्र दूसरे नंबर पर'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 1 जुलाई, 2024 से 10 दिसम्बर, 2024 तक पटना के 19 शहरी थानों में 219 लड़कियों के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मामलों में दर्ज प्राथमिकी का 20 प्रतिशत भी बरामदगी नहीं हो पाया है। जिससे पुलिस की कार्य शैली पर सवाल उठ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त मामलों में विशेष अभियान चलाकर गुमशुदा लड़कियों की बरामदगी का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नौला ग्राम पंचायत को वीरपुर थाना में सम्मिलित करना

*47. श्री कुंदन कुमार (बेगूसराय)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय विधान सभा क्षेत्र के वीरपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत, नौला भगवानपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत आता है, जबकि उक्त पंचायत का प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय वीरपुर हैं एवं वर्तमान में भगवानपुर थाना बछवाड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत होने से सामाजिक प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से नौला पंचायत के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक संख्या 1551/गो0, दिनांक 23 मई, 2023 में उल्लेख किया गया है कि पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय द्वारा प्रशासी पदवर्ग समिति के निर्धारित मापदंड के अनुरूप अनुशंसा एवं आयुक्त कार्यालय मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के माध्यम से अनुशंसा पुलिस मुख्यालय भेजी गई है परन्तु आजतक नौला पंचायत, वीरपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित नहीं हो सका ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पत्र के आलोक में उक्त पंचायत को भगवानपुर थाना से पृथक करते हुये वीरपुर थाना क्षेत्र में सम्मिलित करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंकों के खिलाफ कार्रवाई

*48. श्री मुकेश कुमार यादव (बाजपट्टी)--दिनांक 9 जनवरी, 2025 को समाचार-पत्र में छपी खबर शीर्षक ''म्यूचुअल बैंक खाते का साईबर अपराध में ठगी की जाने वाली राशि को जमा करने के लिये खाते खोले गये, इनमें छः बैंक शाखाएँ पटना की शामिल साईबर अपराध दस बैंकों में सर्वाधिक संदिग्ध खाते'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि साईबर अपराधी द्वारा ठगी की जाने वाली राशि पटना स्थित छः निजी बैंक तथा पटना में पश्चिम गाँधी मैदान स्थित एक सरकारी बैंक, अररिया में डी0ए0वी0 चौक स्थित एक सरकारी बैंक एवं बेतिया के सुप्रिया रोड स्थित सरकारी बैंक में वृहद पैमाने पर राशि का जमा व निकासी किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बैंकों के खिलाफ कबतक क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समान कार्य हेतु समान वेतन का सिद्धांत लागू करना

*49. श्री अजीत शर्मा (भागलपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के गृहरक्षकों को समान कार्य हेतु समान वेतन नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण उन्हें जीवन-यापन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार गृहरक्षकों के मामले में भी समान कार्य हेतु समान वेतन का सिद्धांत कबतक लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन निर्माण

*50. श्रीमती मीना कुमारी (बाबूबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के बाबूबरही प्रखंड मुख्यालय थाने का निर्माण 25 वर्ष पूर्व किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना भवन के जर्जर होने एवं पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिये आवास की सुविधा नहीं होने के कारण थाने में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना हेतु नया भवन के साथ-साथ आवासीय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*51. श्रीमती गायत्री देवी (परिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत परसा पंचायत के परसा ग्राम में एवं लहुरिया पंचायत के बसवरिया ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आवारा पशु घुमते रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बुनकरों के पुनर्वास के संबंध में

*52. श्री समीर कुमार महासेठ (मधुबनी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के भौआड़ा में 2012-13 से 2015-16 तक बुनकरों के पुनर्वास हेतु कर्मशाला-सह-आवास का निर्माण किया गया परंतु 2015-16 के बाद कर्मशाला-सह-आवास का निर्माण बंद कर दिये जाने के कारण बड़ी संख्या में बुनकर उपर्युक्त योजना से वंचित रह गये, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मधुबनी जिला में फिर से बुनकरों के पुनर्वास हेतु कर्मशाला-सह-आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय खोलना

*53. श्री अखतरूल ईमान (अमौर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत डॉक्टर ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम आवासीय विज्ञान विद्यालय की स्थापना अल्पसंख्यक बहुल प्रखंडों में किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बैसा प्रखंड में अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी होने के बावजूद भी सरकार द्वारा डॉक्टर ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम आवासीय विद्यालय अबतक स्थापित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा उक्त प्रखंड में डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम आवासीय विज्ञान विद्यालय नहीं खोले जाने का क्या औचित्य है ?

मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता देना

*54. श्री जिवेश कुमार (जाले)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के पत्रांक 3ए-3-भत्ता-01/2023-6011/वि0, पटना, दिनांक 10 जुलाई, 2023 के आलोक में बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1980 तथा समय-समय पर यथासंशोधित/निर्गत निर्देश द्वारा विहित प्रावधान एवं निहित शर्तों के अधीन राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को मकान किराया भत्ता अनुमान्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 8023, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा पुनरीक्षित दर से राज्य कर्मियों को शहरी परिवहन भत्ता स्वीकृत करने का प्रावधान निहित किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला बल से विभिन्न स्थानों में प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कार्य कर रहे पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को प्रतिनियुक्ति की तिथि से कार्यस्थल के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा जिला बल में कार्य कर रहे पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को प्रतिनियुक्ति की तिथि से कार्यस्थल के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मखाना उद्योग स्थापित करना

*55. श्री आलोक रंजन (सहरसा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला मखाना उद्योग में अव्वल जिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सहरसा में मखाना प्रसंस्करण इकाई/मखाना उद्योग केन्द्र स्थापित नहीं रहने से स्थानीय निर्यातकों को मखाना के बढ़ते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देने में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहरसा औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कर मखाना उद्योग केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*56. श्री विनय कुमार (गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरारू प्रखंड के घटेरा पंचायत अन्तर्गत वाजू विगहा कब्रिस्तान तथा गुरूआ प्रखंड के पलुहारा पंचायत अन्तर्गत वैदा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं कराये जाने के कारण अन्य कठिनाई के साथ यह पशुओं का चारागाह बन गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला का रैंकिंग प्रदर्शन सुधारना

*57. श्री नारायण प्रसाद (नौतन)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "राज्य में लोक शिकायत निवारण के मामले में लखीसराय अव्वल, पश्चिम चम्पारण फिसड्डी" के आलोक में क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की रैंकिंग के मामले में पश्चिम चम्पारण जिला को राज्य में अंतिम स्थान पर रखा गया है, जिसे रैंकिंग में मात्र 59.09 अंक प्राप्त हुये को राज्य में अंतिम स्थान पर रखा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिले में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के लम्बित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जा सका है, जिस कारण रैंकिंग में कम अंक प्राप्त हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पश्चिम चम्पारण जिला के रैंकिंग प्रदर्शन की स्थिति को सुधारने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*58. श्री फते बहादुर सिंह (डेहरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी प्रखंड के डिहरी में वार्ड नम्बर 20, न्यू डिलीया से मो0 सरोज खान उर्फ राजू की पाँच वर्षीय बेटी उमरा खान दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 से लापता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बालिका की गुमशुदगी के खिलाफ डिहरी थाना में केस नम्बर 02/25, दिनांक 1 जनवरी, 2025 के माध्यम से एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया है लेकिन अभी उसका कोई पता नहीं चल सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुमशुदा बालिका की खोजबीन उच्चस्तरीय एजेंसी से कराने के साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*59. श्रीमती रश्मि वर्मा (नरकटियागंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय के वार्ड संख्या 1 में गोपाल ब्रह्मस्थान है जिसका प्रांगण लगभग 5 एकड़ का है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त धार्मिक स्थल पर हजारों श्रद्धालु प्रत्येक दिन आते हैं परन्तु ब्रह्मस्थान के प्रांगण में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है एवं भू-माफिया द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपाल ब्रह्मस्थान को अतिक्रमण मुक्त कराकर चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 03 मार्च, 2025 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 75(एल0ए0), 2024-25-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025